. छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 410/2006</u>

श्री भेष कुमार साहू,
अधिवक्ता,
नयापारा, बालोद
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
पुलिस अनुविभागीय अधिकारी,
बालोद, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 24 फरवरी 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री भेष कुमार साहू द्वारा दिनांक 19–05–2006 को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 24–08–2006 को आदेश पारित किया, जिससे असंतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 26–09–2006 को अपील प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। जहां तक प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निर्णय में विचार किये जाने का प्रश्न है प्रथम अपील दिनांक 10–07–2006 को की गई थी और आदेश दिनांक 24–08–2006 को प्रदान किया गया था। इसमें 30 दिन से अधिक विलम्ब का कारण नहीं बताया गया है, जो अधिनियम के अनुसार बताया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी भविष्य में इस संबंध में ध्यान रखें और प्रथम अपील का या तो समयावधि में निराकरण करें अथवा यदि 30 दिन के बजाय 45 दिन के अन्दर निर्णय दिया जाता है तो विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया जाये। जहां तक जन सूचना अधिकारी से जानकारी का प्रश्न है अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि मुलाहिजा रिपोर्ट की मूल प्रति नहीं देते हुए द्वितीय प्रति उन्हें प्रदान की गई। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का यह कहना है कि मूल प्रतिलिपि मिल नहीं रही थी और इसमें लापरवाही के लिए प्रधान आरक्षक श्री लल्लन सिंह को सेवापुस्तिका में निंदा की सजा भी दी गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16–05–2006 और 14–05–2006 की तिथि में जो फर्क है उसके संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी आदेश में उल्लेख किया है कि यह लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है और यह सही तिथि 16–05–2006 ही है और यही अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी का तर्क मान्य योग्य प्रतीत नहीं होता है और इस संबंध में कोई

दुर्भावना भी प्रतीत नहीं होती है। अतः इसे लिपिकीय त्रुटि मान्य करते हुए चूंकि इसमें और कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, अतः अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त